<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>19.10.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद सब-ज़ोनल कार्यालय ने विजय मिश्रा और अन्य से संबंधित धन शोधन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स वीएसपी स्टार रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली 12.54 करोड़ रुपये की 04 अचल संपत्तियों और वीरेंद्र राम मूरत तिवारी के स्वामित्व वाली 1.85 करोड़ रुपये की सावधि जमा (एफडी) के रूप में एक चल संपत्ति, जिसकी कुल कीमत 14.39 करोड़ रुपये है, को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई अचल संपत्तियां आवासीय और कृषि प्रकृति की हैं और प्रयागराज, दिल्ली और रीवा (म.प्र.) में स्थित हैं।

ईडी ने विजय मिश्रा, पूर्व विधायक और उनकी पत्नी श्रीमती रामलली मिश्रा, पूर्व एमएलसी के खिलाफ सतर्कता विभाग द्वारा प्रयागराज के हंडिया पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण और भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 14.07.2023 और 26.07.2023 को आरोप पत्र दायर किए हैं, जिसमें लोक सेवक के रूप में काम करते हुए 36.07 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति के रूप में आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है। उक्त आपराधिक मामले के अलावा, विजय मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जबरन वसूली, अवैध खनन, अपहरण, हत्या, लूट, धोखाधड़ी, जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, संगठित अपराध जैसे अपराध करने के लिए 84 अन्य आपराधिक मामले दर्ज पाए गए, जो उनके दशकों पुराने आपराधिक इतिहास का सबूत है।

ईडी की जांच में पता चला है कि विजय मिश्रा और उनकी पत्नी श्रीमती रामलली मिश्रा ने लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और उसी को आगे बढ़ाते हुए, मेसर्स वीएसपी स्टारर रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी का गठन किया, जिसकी दिल्ली के जसोला में 11.07 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसे ईडी ने 28.02.2024 को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया। उक्त संपत्ति को पट्टे पर देकर उसका निरंतर उपयोग और व्यावसायीकरण करने के परिणामस्वरूप अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न हुई और मेसर्स वीएसपी स्टारर रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड ने ऐसी आय का कुछ हिस्सा प्रयागराज में एक संपत्ति खरीदने में निवेश किया। साथ ही, रीवा, मध्य प्रदेश में स्थित एक संपत्ति चंदन तिवारी के नाम पर खरीदी गई, जिसका वास्तविक भुगतान विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा ने पीओसी का उपयोग करके किया

आगे की जांच से पता चला कि विजय मिश्रा और उनके परिवार की आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त पीओसी को विजय मिश्रा के कहने पर भोला नाथ राजपति शुक्ला को हस्तांतरित किया गया था, जिन्होंने इसे बेदाग दिखाने के लिए अपने व्यापारिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया। पीओसी का एक हिस्सा विजय मिश्रा के रिश्तेदार वीरेंद्र राम मूरत तिवारी को लोन के नाम पर हस्तांतरित किया गया था, ताकि इसे बेदाग धन के रूप में दिखाया जा सके। इसलिए, पीओसी का उपयोग करके अर्जित भोला नाथ राजपति शुक्ला और वीरेंद्र राम मूरत तिवारी की चल/अचल संपत्तियां पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जब्त की गई हैं। इस मामले में अब कुल जब्ती 25.46 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच जारी है।

9430